

बाजी के कारण रुकी पड़ी उत्पादन शुल्क की रकम का संबंध है, उसकी मात्रा का पता लगाना संभव नहीं है चूंकि ऐसे मामलों में राजस्व रकम में मूल्यांकित वर्गीकरण तथा अधिसूचना आदि के अर्थनीतिप्रस्तुति जैसे प्रश्नों का न्यायिक निर्धारण अन्तग्रहित रहाता है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 अथवा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन इन कानूनों के अन्तर्गत संदेय शुल्कों पर ब्याज की वसूली के लिए कोई अवधारणा नहीं है। तथापि अलग अलग मामलों में ब्याज वसून किए जाते हैं यदि न्यायालयों द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाता है।

इण्डियन सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड में लिफाफों, टिकटों आदि के लिए उपयोग होने वाली गोंद के सप्लायर्स

3824. श्री निहाल सिंह : क्या विस्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड में लिफाफों, टिकटों आदि के लिए उपयोग होने वाली गोंद की पूर्ति करने वालों का विवरण क्या है;

(ख) पूर्ति करने वालों के साथ किए गए ठेके के नियम और शर्तें क्या हैं और यह ठेका कितनी अवधि तक के लिए है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि गोंद की घटिया किस्म का उपयोग किए जाने के कारण आम जनता को कठिनाई हो रही है; और

(घ) घटिया किस्म की गोंद की पूर्ति के लिए सप्लायर्स के विश्व भारत ने क्या कार्यवाही की है?

विस्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनादेवन पुजारी) : (क) से (घ) मेसर्स कोन्स प्रोडक्ट्स बम्बई, लिफाफों, अंतर्देशीय पत्र काढ़ों और रजिस्ट्री के लिफाफों के फलंपों पर गोंद लगाने के लिए तरल गोंद के सप्लाई करता है। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से प्राप्त 200 मेट्रिक टन तरल गोंद, 15 नवम्बर, 1983 से 20 मेट्रिक टन प्रतिमास की दर से, वितरित की जा रही है। सप्लाई किए गए माल की जांच निरीक्षण निदेशक, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, बम्बई द्वारा की जाती है।

टिकटों के लिए कागज/की सतह पर गोंद लगाने का कार्य लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित है। समय समय पर अपर्याप्त मात्रा में गोंद लगाने के संबंध में, शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं जिसमें कि मामान्य आदमी को दिवक्त महसूस हुई होगी, और तुरंत ही ठेकेदार को अपना काम सुधारने की सलाह दी जाती है।

Opening of Branches of Commercial Banks in Madhya Pradesh

3825. KUMARI PUSHPA DEVI SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of branches of various commercial banks opened in Madhya Pradesh in the last three years;

(b) whether steps have been taken to increase the bank branches in 1984-85;

(c) if so, the number of more branches of various commercial banks proposed to be opened in different Districts of Madhya Pradesh in 1984-85;

(d) whether the banks branches opened in the tribal areas of the State of Madhya Pradesh are very inadequate;